Regarding exemption of toll tax for persons residing near Toll Plaza on National Highway in Bhagan Bigha in Nalanda district, Bihar-Laid

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : नालंदा में एन.एच. पर भागन बिगहा में टोल प्लाजा चालू किया गया है, जहाँ टोल टैक्स की भुगतान-प्राप्ति प्रारम्भ हो गई है । इसके कारण भागन बिगहा टोल प्लाजा के आसपास के नागरिकों को अब परेशानी होने लगी हैं । क्योंकि बिना टैक्स पेमेन्ट के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है । इसके कारण वहाँ के लोगों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है । राजमार्ग टैक्स क्लेक्शन कानून-2024 में टोल प्लाजा के 20 किमी. के आसपास रहने वाले नागरिकों को उनकी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए टोल टैक्स नहीं लेने का प्रावधान है । इसलिए नियम के अनुसार भागन बिगहा के आसपास सोहसराय, बिहार शरीफ, दीपनगर, हरनौत, बेना आदि के नागरिकों से उनके निजी वाहनों पर कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए । अतः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से आग्रह है कि इस दिशा में अविलम्ब आवश्यक दिशानिर्देश जारी करें और भागन बिगहा में वसूले जा रहे टोल टैक्स को बन्द करें ।